स्कूलों के पुनः खुलने पर शिक्षकों के सामने क्या चुनौतियाँ होंगी

विमला रामचन्द्रन

पृष्ठभूमि

स्कूलों को बन्द हुए लगभग दो साल हो चुके हैं। बच्चों और शिक्षकों पर *कोविड-19* महामारी का विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। राज्य और केन्द्र की सरकारों ने स्कूलों के बन्द होने से हुए भारी नुक़सान पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। हालाँकि ऑनलाइन स्कूली शिक्षा की अन्तर्निहित असमानता पर तो कुछ चर्चा है, लेकिन हमारे शिक्षकों के सामने स्कूलों के वापस खुलने पर क्या चुनौतियाँ आएँगी, इस पर गम्भीर चर्चा नहीं हो रही है। महामारी के बाद स्कूलों को फिर से खोलने पर इसके पहले के मेरे लेख *(लर्निंग कर्व, शाला और समाज, अगस्त 2021)* में, मैंने कुछ चुनौतियों के बारे में बताया था जिसका सामना शिक्षक और शिक्षा अधिकारी करते हैं। अब हमारे पास इन स्थितियों के बारे में बहुत जानकारी है — बच्चों पर स्कूलों के बन्द होने के प्रभाव, संविदा शिक्षकों का अस्थिर अस्तित्व, निजी स्कूलों में नौकरियों का जाना और शिक्षकों पर ऑनलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाने, वर्कशीट बाँटने, मोहल्ला कक्षाएँ चलाने व बच्चों से उनके घर जाकर सम्पर्क करने के लिए बनाया जाने वाला भारी दबाव।

तथ्य और आँकड़े

हाल ही में किए गए एक गुणात्मक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि शहरी क्षेत्रों में लिए गए सैम्पल में से बमुश्किल एक चौथाई बच्चे और ग्रामीण इलाक़ों के सैम्पल में महज आठ प्रतिशत बच्चे ऑनलाइन अध्ययन करते हैं जो किसी भी कसौटी पर एक चौंकाने वाला आँकड़ा है। यह हालिया सर्वेक्षण उस बात की पुष्टि करता है जिसे हम पिछले कुछ समय से जानते हैं — ऑनलाइन शिक्षा एक विलासिता है जिसे हमारे देश में बहुत कम लोग ही प्राप्त कर सकते है। समान रूप से महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 90 प्रतिशत शहरी और 97 प्रतिशत ग्रामीण अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल फिर से खुल जाएँ। हालाँकि यह सर्वेक्षण मुख्य रूप से वंचित क्षेत्रों/ समुदायों पर केन्द्रित था, लेकिन यह एक अत्यावश्यक ताक़ीद है कि सरकार को प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को फिर से खोलने की ज़रूरत है। असर[ii] द्वारा कर्नाटक के 24 ज़िलों में किए गए अध्ययन से यह बातें पता चलीं कि सरकारी स्कूलों में दाख़िलों की संख्या कुछ बढ़ गई है (क्योंकि कई निजी स्कूल बन्द हो गए या अभिभावक अब उनकी फ़ीस का भुगतान नहीं कर सकते थे), पढ़ने और संख्या ज्ञान के स्तरों में भारी गिरावट आई है व आधारभूत कौशलों में भी स्पष्ट गिरावट दिखती है (एएसईआर, सितम्बर, 2001)। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब हम बहुत कुछ जानते हैं, स्कूलों के फिर से खुलने पर हमारे शिक्षकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया ऐसे 'लापता बच्चों' की रिपोर्टिंग कर रहा है जो शिक्षा के रडार से छूट गए हैं। उन्होंने ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं लिया और न ही स्थानीय तौर पर हुईं व्यक्तिगत कक्षाओं या गतिविधियों में भाग लिया। ऐसे बच्चों में से कई ने या तो रोज़ी-रोटी के लिए काम करना शुरू कर दिया या बाल मज़दूरों के रूप में दासता में भेज दिए गए या उनकी शादी कर दी गई या घर पर छोटे बच्चों/ भाई-बहनों की देखभाल करने लगे या फिर अपने माँ-बाप के कामों में उनका हाथ बँटाने लगे। भारत में इस तरह के बच्चों की संख्या का हमें कोई अनुमान नहीं है। ऐसी स्थिति में 'स्कूलों के बाहर के बच्चे' वाले सर्वेक्षणों की सभी पुरानी रिपोर्टों का *कोविड-19* सम्बन्धित लॉकडाउन वाले दिनों में कोई ख़ास अर्थ नहीं रह जाता।

सैम्पल में शामिल उन बच्चों का अनुपात (%) जो	शहरी	ग्रामीण
नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं	24	8
आजकल बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं	19	37
पिछले 30 दिनों में अपने शिक्षकों से नहीं मिले हैं	51	58
पिछले तीन महीनों में टेस्ट/ परीक्षा से नहीं गुज़रे हैं	52	71
कुछ शब्दों से अधिक पढ़ने में असमर्थ हैं	42	48

स्रोत: *लॉक्ड आउट, सितम्बर 2021*[i]

अब यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि बच्चों को ढूँढ़ने का दायित्व निरपवाद रूप से शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और बची-खुची स्कूल प्रबन्धन समितियों पर पड़ेगा। हमें समस्या की विशालता का तब तक सही-सही पता नहीं चलेगा जब तक प्रत्येक राज्य सरकार बाल जनगणना शुरू नहीं करती। इसके लिए गाँव-गाँव, एक-एक शहरी वार्ड, स्थानीय मिठाई की दुकानों, ढाबों, ईंट के भट्टों, कालीन बुनाई के कारख़ानों, धातु/ आभूषण/ पत्थर काटने के कारख़ानों सहित तमाम स्थानों पर जाना होगा। ऐसा करने का एक तरीक़ा होगा, अभिभावक-शिक्षक बैठकें आयोजित करना, इस बात पर ध्यान देना कि कौन-से बच्चों के अभिभावक आए हैं और जो नहीं आए हों उन अभिभावकों के घर जाना। दिल्ली सरकार ने दो सप्ताह की कक्षावार अभिभावक-शिक्षक बैठकें कीं और अभिभावकों की उपस्थिति का बारीक़ी से अवलोकन किया। उनके पास लगभग-लगभग 70 प्रतिशत बच्चों के अभिभावक उपस्थित हुए। यह ज़रूरी है कि शिक्षा विभाग और श्रम विभाग बाल अधिकार आयोग के साथ मिलकर तत्काल इन 'लापता बच्चों' की पहचान करें और उन्हें घर वापसी करने में व उसके बाद स्कूल में वापस लाने में मदद करें। यह स्कूलों के खुलने से पहले करने की ज़रूरत है और कम-से-कम एक वर्ष तक इसे जारी रखने की ज़रूरत है, ताकि हम समाज के रूप में यह सुनिश्चित कर सकें कि हर एक बच्चा वापस स्कूल में हो।

शिक्षकों का योगदान

यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। कड़वी सच्चाई यह है कि स्कूली शिक्षकों पर दबाव बढ़ने वाला है क्योंकि कई राज्यों ने अपने संविदा शिक्षकों (जो सन 2018 में प्राथमिक स्कूलों में 13.80 प्रतिशत और माध्यमिक स्कूलों में 8.40 प्रतिशत थे[iii]) को या तो निकाल दिया है या उनको भुगतान नहीं किया है। कुछ राज्यों, जैसे झारखण्ड और कई उत्तर-पूर्वी राज्यों में संविदा शिक्षक, कुल शिक्षक कार्यबल का 50 प्रतिशत से भी अधिक हैं। शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति गम्भीर होने की सम्भावना है, ख़ासकर ऐसी स्थिति में जब हम सरकारी स्कूलों में नामांकनों में वृद्धि की उम्मीद करते हैं।

बच्चों को वापस स्कूलों में लाना एक कठिन काम होने वाला है और यह स्थिति विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग होगी। उदाहरण के लिए, हम 14 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को लेते हैं। उन्हें स्कूलों में वापस जाने के लिए प्रेरित करना हमारी कल्पना से कहीं अधिक कठिन हो सकता है। कामकाजी बच्चे, विशेष रूप से वे जो दो साल से स्कूल नहीं गए हैं और इस रुकावट से पहले उच्च प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं में थे, हो सकता है कि वह सब न भूले हों जो उन्होंने जो सीखा था। लेकिन यह भी हो सकता है कि उन पर परिवार की आमदनी में योगदान करने का भारी दबाव हो। जिस तरह का आर्थिक संकट ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के ग़रीब, प्रवासी, दिहाड़ी मज़दूर और अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मचारी झेल रहे हैं, उसमें बच्चों को काम से हटाकर वापस स्कूल में लाने के लिए सिर्फ़ मौखिक आश्वासन सम्भवतः काफ़ी न हो। स्कूली शिक्षा पर संवाद शुरू करने से पहले पूरे परिवार को विश्वास में लेना होगा।

जिन लड़कियों की शादी महामारी के दौरान हुई है उनके सामने आने वाली समस्याएँ और अधिक चुनौतीपूर्ण होंगी। यदि हम युवा किशोरियाँ को स्कूलों में वापस लाना चाहते हैं तो आवासीय सेतु पाठ्यक्रम मॉडल (जिसे ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) या कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) मॉडल या पूर्ववर्ती महिला समाख्या कार्यक्रम के महिला शिक्षण केन्द्र मॉडल के तहत आज़माया गया था) की पुनर्कल्पना और पुनर्रचना करना अत्यावश्यक हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मैंने कई ग़ैर सरकारी संगठनों से यह सुना है कि लड़कों के लिए भी इसी तरह के आवासीय स्कूलों/ कार्यक्रमों की ज़रूरत है — ख़ासकर अगर हम उन्हें स्कूल में वापस लाना चाहते हैं तो। दो से तीन साल की अवधि वाले त्वरित सीखने के कार्यक्रम उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर पर आने और कक्षा दसवीं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों को महामारी के बाद के दौर की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करानी होगी। ग़ैर सरकारी संगठनों के बीच जिन सुझावों पर चर्चा की गई है उनमें से एक है कि मनरेगा फण्ड का कल्पनाशील उपयोग करके स्कूलों के लिए अतिरिक्त सहायता हासिल करना और चूँकि यह एक वर्ष के लिए या अधिकतम दो वर्ष किया जा सकता है, तो स्थानीय शिक्षित व्यक्तियों को स्कूल में लेकर आना एक विकल्प है, जिसे टटोला जा सकता है। कई कम लागत में चलने वाले, निजी स्कूलों के शिक्षक बेरोज़गार हैं — यह प्रयास ऐसे लोगों को एक अवसर प्रदान कर सकता है, कम-से-कम तब तक जब तक निजी स्कूल फिर से न खुल जाएँ, अगर खुलें तो। इन कुछ बातों पर ग़ौर किया जाना चाहिए — आवासीय सेतु पाठ्यक्रम / त्वरित सीखने के कार्यक्रम पुनः लागू करना; लड़कियों और लड़कों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और अधिक कस्तूरबा गाँधी बालिका स्कूलें खोलना; नए स्कूल खोलना या मौजूदा स्कूलों की क्षमता में बढ़ोतरी करना (निजी स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए स्थान बनाना) और सबसे महत्त्वपूर्ण बात कि सभी स्तरों पर कहीं ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती करना। स्कूल-परिसर को नोडल पॉइंट बनाने का विचार — जैसा कि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में सिफ़ारिश की गई है — वह आधार हो सकता है जिसके चारों ओर योजना और कार्यान्वयन की प्रक्रियाएँ शुरू हो सकती हैं।

कक्षा एक से 12वीं तक सभी स्तरों के शिक्षकों को उन सभी प्रकार की समस्याओं, चुनौतियों और अवसरों से अवगत कराना होगा जो महामारी के बाद के दौर में उनके सामने हैं। इस स्थिति में ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी) और क्लस्टर संसाधन केन्द्र (सीआरसी) जैसे ज़िला और उप-ज़िला संस्थानों से माँग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जहाँ से अध्यापक-शिक्षकों, एससीईआरटी द्वारा चिन्हित स्रोत व्यक्तियों और बाल-केन्द्रित शिक्षण-अधिगम में अनुभव प्राप्त एनजीओ कार्यकर्ताओं की पहचान की जा सकती है। राज्य सरकारों को तत्परता के साथ कम-से-कम कुछ महीने पहले ही गतिशील और परस्पर संवादात्मक (इंटरैक्टिव) प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर लेने चाहिए ताकि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं में उन्हें सहायता मिल सके। बिना सोचे-समझे पाठ्यचर्या से विषयवस्तुओं को कम करना सही नहीं है। ज़रूरी यह है कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे को सीखने की उस स्थिति से शुरू करने में मदद करें जहाँ वह हो और फिर धीरे-धीरे व सावधानीपूर्वक सीखने की सीढ़ी में ऊपर जाने में उनकी मदद करें। बुनियादी सीखने के कार्यक्रम तैयार करने के हाल के प्रयास इस सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं कि शिक्षकों को न केवल कक्षा में बनी स्थिति के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया को तय करने की स्वतंत्रता मिले बल्कि उन्हें कम-से-कम छह महीने की समय सीमा (लीड टाइम) भी मिले ताकि वे अपने विद्यार्थियों को उनके सीखने के नुक़सान की भरपाई करने के लिए सक्षम बना सकें।

सुझाए गए समाधान

हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षकों की मानसिकता। बच्चों के साथ एकतरफ़ा संवाद सफल नहीं रहा है और न ही इस तरीक़े से भविष्य में कोई सकारात्मक परिणाम मिलने की सम्भावना है। प्रत्येक बच्चे के साथ जुड़ने के लिए हमें सीखने के हमारे दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन करना ज़रूरी है। कुछ प्रशासक समयबद्ध बुनियादी कौशल मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर काम कर रहे ग़ैर सरकारी संगठनों के अनुभव यह दिखाते हैं कि पहले से तैयार किया गया कोई मॉड्यूल उपयोगी नहीं होता। बच्चों को कई तरह की कहानियाँ पढ़कर सुनाने, बच्चों द्वारा एक-दूसरे को पढ़कर सुनाने और विभिन्न विचारों व गतिविधियों के साथ जुड़ने से वे पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया का आनन्द लेने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान गणित, विज्ञान, स्थानीय इतिहास और पर्यावरण में भी इसी तरह की गतिविधियाँ बच्चों को एक-दूसरे से और सीखने की प्रक्रिया से जुड़ने में मदद कर सकती हैं।

एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, सभी स्कूली शिक्षकों को पहले दो सप्ताह या उससे अधिक समय इन बातों के लिए निर्धारित करके रखना होगा — बच्चों से बातें करना, उनके अनुभव सुनना, विभिन्न विषयों में उनकी स्थिति क्या है इसका आकलन करना, हर विषय के लिए समान स्तरों पर स्थित बच्चों के छोटे-छोटे समूह बनाना और उन्हें सीखने में आगे बढ़ने हेतु मदद करने के लिए एक योजना तैयार करना। यह निश्चित है कि बच्चे विभिन्न विषयों में विभिन्न स्तरों पर होंगे बल्कि यह भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों की तुलना में अधिक आघात लगा हो। यह बात उन बच्चों के बारे में यह विशेष रूप से सच है जिनके स्कूल बदले हों — निजी से सरकारी में, शहर/ क़स्बे से गाँव की ओर या एक शहर से दूसरे शहर में। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पहले दिन से ही 'सामान्य' रहेंगे। इसका मतलब है कि शिक्षकों को स्कूल खुलने के दस से 15 दिन पहले मिलकर गतिविधियों की योजना सावधानीपूर्वक बनानी होगी।

ज़रूरी नहीं कि सभी शिक्षकों के पास ऐसी ज़रूरी क्षमताएँ/ कौशल हों कि उनका पूरा ध्यान बच्चों की ज़रूरतों, उनके सामने आने वाली समस्याओं, प्रत्येक बच्चे के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करने और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें स्कूल में उनकी उपस्थिति को प्रसन्नतापूर्वक लेने में मदद करने पर केन्द्रित रहे। लघु और मध्यम अवधि के लिए सम्भव है कि राज्य सरकारें प्रत्येक कक्षा में कम-से-कम दो शिक्षक नियुक्त करे — भले ही इसका अर्थ अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करना हो या कक्षा को पढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों की मदद लेना। हमें 25 बच्चों के समूह के लिए कम-से-कम दो शिक्षकों की आवश्यकता हो सकती है, यदि हम प्रत्येक बच्चे के साथ उस स्थिति से काम शुरू करने के प्रति गम्भीर हैं जहाँ वे हैं। इसी प्रकार बच्चों को उनके डर और आशंकाओं को व्यक्त करने में मदद करने के लिए, उनके अनुभवों के बारे में खुलकर बात करने के लिए और धीरे-धीरे इस बात को समझने के लिए कि उनके अनुभव कई अन्य बच्चे भी साझा करते हैं, नियमित गतिविधियों की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि 'मिशन मोड' शब्दों की काफ़ी आलोचना हुई है, पर हमें दरअसल गतिविधियों का एक गहन दौर चाहिए ताकि शिक्षक और बच्चे स्कूलों में वापस आने, अपने साथियों और मित्रों के साथ फिर से जुड़ने, शिक्षकों व शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ जुड़ने के कठिन दौर से गुज़रकर आगे बढ़ सकें। वाक़ई ऐसा बहुत कुछ है जिसके साथ बच्चों को समायोजन करने की आवश्यकता है।

कई अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ऐसे 'हाइब्रिड' मॉडल के बारे में बात करते रहे हैं जहाँ व्यक्ति-दर-व्यक्ति होने वाली परस्पर क्रिया को ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का सहयोग मिले। यहाँ भी, बच्चों की उम्र को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जहाँ माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर ऐसी व्यवस्था काफ़ी उपयोगी हो सकती है, वहीं यह सम्भव है कि देश भर के प्राथमिक स्कूलों के लिए यह कोई विकल्प न हो। ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में तो पहले से ही ख़राब बुनियादी ढाँचे, अनियमित बिजली आपूर्ति, स्कूल में उपयोग के लिए कम्प्यूटरों/ प्रोजेक्टरों की कमी जैसी अतिरिक्त चुनौतियाँ मौजूद हैं। जो बात शहरी क्षेत्रों में की जा सकने योग्य लगती है, हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में उसने करना सम्भव न हो, क्योंकि जो बात एक जगह सफल हो जाए ज़रूरी नहीं कि वह दूसरी जगह भी सफल हो।

तत्काल क़दम उठाना

बुनियादी रूप से इस सबका तात्पर्य यह है कि शिक्षकों द्वारा इन विचारों को स्वीकार करने के लिए और उन्हें नियोजन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाने के लिए हमें तत्काल शुरुआत करनी होगी। शिक्षकों के साथ इन मुद्दों पर बातचीत करना शुरू करें, उन्हें प्रेरित करें कि वे उन चुनौतियों को स्पष्टतः व्यक्त करें जिनकी उन्हें अपेक्षा है और उन्हें विद्यार्थियों के घरों में जाकर वास्तविकता को समझने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वाक़ई परेशान करने वाली बात है कि सरकारें स्कूलों के फिर से खुलने की तिथियों की घोषणा कर देती हैं और शिक्षकों से अपेक्षा करती हैं कि वे बिल्कुल सामान्य ढंग से हमेशा की तरह चीज़ों को आगे ले जाएँगे। कई राज्यों में माध्यमिक स्कूल खोल दिए गए है और शहरी क्षेत्रों के बच्चों की यह प्रतिक्रिया मिली है कि उनमें से कई ऑनलाइन माध्यम से या वर्कशीटों और होमवर्क के माध्यम से प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं सीख सके। बच्चों के स्तरों में कक्षा 10-12 में भी काफ़ी भिन्नताएँ हैं। यदि यह स्थिति शहरी क्षेत्रों में है, तो हम ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की स्थिति की अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं।

शिक्षकों की आवाज़ों की अवहेलना करने से कभी कोई सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं हुए हैं। आगे के लिए यह ज़रूरी है कि चुनौतियों की पहचान करने, उनके समाधान खोजने, चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है इसकी योजना बनाने, विस्तृत सन्दर्भ-विशिष्ट योजनाएँ बनाने और मानवीय एवं वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त आवंटन को सुनिश्चित करने जैसे तमाम मसलों में उन्हें सहभागी बनाया जाए। यहाँ कोई आसान 'शॉर्टकट' या 'जादुई गोलियाँ' नहीं हैं; हमें शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और प्रशासकों के साथ सहभागियों के रूप में प्रत्येक स्कूल परिसर के लिए व्यवस्थित रूप से योजना बनाने की ज़रूरत है; और सरकारी स्कूलों को नई ऊर्जा देने के काम में अभिभावकों के लिए सहभागियों के रूप में नई भूमिकाएँ परिभाषित करने की ज़रूरत है।

Endnotes

i Nirali Bakhla, Reetika Khera, Jean Dreze, Vipul Paikra. 2021. Locked Out: Emergency Report on School Education, 6 September 2021.

ii ASER: Annual Status of Education Report.

iii Vimala Ramachandran, Deepa Das, Ganesh Nigam and Anjali Shandilya. 2020. Contract Teachers in India: Recent Trends and Current Status. Azim Premji University, Bengaluru.

References

Azim Premji University, Loss of Learning During the Pandemic, February 2021

ASER survey 2020 Wave 1 and ASER Karnataka, September 2021

Locked Out: Emergency Report on School Education, September 2021

Several initiatives by state governments and NGOs in 2020 and 2021

विमला रामचन्द्रन पूर्व में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA), नई दिल्ली में शिक्षक प्रबन्धन की राष्ट्रीय फ़ेलो व प्राध्यापक थीं। वे ईआरयू कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक भी रही हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद जयपुर में रह रही हैं। उनसे vimalar.ramchandran@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुवाद : सुरेन्द्र विश्वकर्मा